www.irjhis.com

ISSN : 2582-8568
Impact Factor : 5.71

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF HUMANITIES AND INTERDISCIPLINARY STUDIES

(Peer-reviewed, Refereed, Indexed & Open Access Journal)

Volume 2, Issue 6, June 2021

SHREYAS PUBLICATION, AURANGABAD

ISSN 2582-8568
INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF HUMANITIES AND INTERDISCIPLINARY STUDIES
(Peer-reviewed, Refereed, Indexed & Open Access Journal)
IMPACT FACTOR : 5.71

IRJHIS EDITORIAL BOARD

Editor-in-Chief		
Dr. Ramnath Pawar (M.A.,B.Ed.,B.M.C.J.,M.Phil.,Ph.D) Department of Sociology Milind College of Arts, Nagsenvana, Aurangabad (India) Mobile: +91 9422243905 E-mail: editor@irjhis.com		
EDITORIAL BOARD MEMBER		
Dr. Shukra Raj Adhikari Associate Professor & Head Department of Social Work, Faculty of Humanities and Social Science, TRIBHUVAN UNIVERSITY Kirtipur, Kathmandu (Nepal) E-Mail: shukra@mswtu.edu.np	**Mr. Memon Sohel MD Yusuf** Lecturer in Accounting & Finance Department of Business Studies, Nizwa College of Technology, Nizwa, Sultanate of Oman (Oman) E-mail: sohel.memon@nct.edu.om	**Mr. Mohammed Ismail Iqbal** Assistant Professor Engineering Department, University of Technology Applied Sciences, Nizwa, Sultanate of Oman (Oman) E-mail: mohammed.iqbal@nct.edu.om
Dr. Vaishali Pradhan Principal Milind College of Arts, Nagsenvana, Aurangabad (India) E-mail: vspradhan@milindcollegeofarts.com	**Dr. Prabhakar Chavan** Associate Professor Department of Lifelong Learning & Extension, SNDT Women's University, Nathibai Thackersey Road, Mumbai (India) E-mail: prabhakar.chavan@caee.sndt.ac.in	**Dr. Rajendra Gonarkar** Associate Professor School of Media Studies, Swami Ramanand Teerth Marathwada University, Nanded (India) E-mail: rajendragonarkar@srtmun.ac.in
Dr. Satyanarayan Kothe Assistant Professor Department of Economics (Autonomous), University of Mumbai, Mumbai (India) E-mail: kothesk@economics.mu.ac.in	**Dr. Usha Patil** Associate Professor & Head Department of Sociology, Mahavir Arts, Science and Commerce College, Kolhapur (India) E-mail: ubpsociology@mmk.ac.in	**Dr. Laxman Salok** Professor & Head Department of Sociology, Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad (India) E-mail: lsalok.sociology@bamu.ac.in

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF HUMANITIES AND INTERDISCIPLINARY STUDIES

(Peer-reviewed, Refereed, Indexed & Open Access Journal)

Certificate of Publication

The Editorial Board of International Research Journal of Humanities and Interdisciplinary Studies (ISSN : 2582-8568), Impact Factor : 5.71 (SJIF 2021) is hereby awarding this Certificate to

Dr. Girdhari Lal Sharma

is recognition of the publication of the paper entitled

"New Education Policy 2020 : Facts and Challenges"

Published in Volume 2, Issue 6, June - 2021 (www.irjhis.com)

DOI Link : https://doi-ds.org/doilink/06.2021-53512693/IRJHIS2106026

Registration ID : 20243
Published Paper ID : IRJHIS2106026

ISSN : 2582-8568
Impact Factor : 5.71

Editor-in-Chief
IRJHIS

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF HUMANITIES AND INTERDISCIPLINARY STUDIES
(Peer-reviewed, Refereed, Indexed & Open Access Journal)
DOI : 03.2021-11278686 ISSN : 2582-8568 IMPACT FACTOR : 5.71 (SJIF 2021)

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : तथ्य एवम चुनोतियाँ

डॉ. गिरधारी लाल शर्मा
सहायक प्राध्यापक,
शिक्षा विभाग, जैन विश्वभारती संस्थान,
लाडनूं – 341306 (राजस्थान)
E-mail: girdhari1976@gmail.com

DOI No. 03.2021-11278686 **DOI Link ::** https://doi-ds.org/doilink/06.2021-53512693/IRJHIS2106026

सारांश:

शिक्षा समाज की दिशा तथा दशा का निर्धारण करती है । कहा जाता है कि अगर किसी देश तथा समाज में बड़े परिवर्तन करने हो तो शिक्षा में समय के साथ परिवर्तन आवश्यक है । नई शिक्षा नीति को कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिली यह स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है । इससे पहले 1968 तथा 1986 में शिक्षा नीतियां लागू की गई थी । नई शिक्षा नीति 2020 के द्वारा शिक्षा के सभी स्तरों तथा गतिविधियों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं । शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण तथा सार्वभौमिक शिक्षा के साथ ही व्यवसायिक शिक्षा पर भी बल दिया गया है । इसमें भारतीय संस्कृति की विविधता का उचित समावेश किया गया है । 21 वीं सदी के विश्व में भारत को प्रमुख महाशक्ति बनने में इस शिक्षा नीति का समुचित क्रियान्वयन मील का पत्थर साबित होगा तथा भारत अपने प्राचीन ज्ञान तथा संस्कृति को नई दिशा प्रदान कर विश्व गुरु बनने में नवीन शिक्षा नीति उपयोगी साबित होगी ।

भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति जुलाई 1968 में घोषित की गई । यह कोठारी प्रतिवेदन पर आधारित थी । दूसरी शिक्षा नीति 1986 में घोषित हुई जिसमें 1990 में गठित आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता वाली कमेटी तथा 1993 में गठित प्रोफेसर यशपाल समिति की समीक्षाओं के आधार पर संशोधन भी किए गए । जून 2017 में इसरो के प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में 11 सदस्य कमेटी का गठन किया गया था, जिसने मई 2019 में शिक्षा नीति से संबंधित प्रारूप तैयार किया। नई शिक्षा नीति 2020 की परामर्श प्रक्रिया विश्व की सबसे बड़ी परामर्श प्रक्रिया रही, यह जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक व्यापक स्तर पर सभी पहलुओं को सम्मिलित करते हुए चर्चा की गई तथा सुझाव लिए गए । राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को 28 जुलाई, 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई शिक्षा नीति के प्रारूप को पेश किया ।

NEP- 2020 में शिक्षा की पुरानी पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन करके एक नई शिक्षा पालिसी डॉक्यूमेंट को तैयार किया गया है जिसमें Read to Learn के बदले Learn to Read की नीति पर ख़ास जोर दिया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख बिंदु:

स्कूली शिक्षा संबंधी प्रावधान:

- नई शिक्षा नीति में 5 + 3 + 3 + 4 डिज़ाइन वाले शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है जो 3 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल करता है।

  पाँच वर्ष की फाउंडेशनल स्टेज (Foundational Stage) – 3 साल का प्री–प्राइमरी स्कूल और ग्रेड 1, 2 ; तीन वर्ष का प्रीपेट्रेरी स्टेज (Prepatratory Stage) ; तीन वर्ष का मध्य (या उच्च प्राथमिक) चरण –ग्रेड 6, 7, 8 और चार वर्ष का उच्च (या माध्यमिक) चरण –ग्रेड 9, 10, 11, 12 ।
- NEP 2020 के तहत HHRO द्वारा 'बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन' (National Mission on Foundational Literacy and Numeracy) की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इसके द्वारा वर्ष 2025 तक कक्षा–3 स्तर तक के बच्चों के लिये आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा।

भाषायी विविधता का संरक्षण:

- NEP–2020 में कक्षा–5 तक की शिक्षा में मातृभाषा/स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा–8 और आगे की शिक्षा के लिये प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है।
- स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिये संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी।

शारीरिक शिक्षा:

- विद्यालयों में सभी स्तरों पर छात्रों को बागवानी, नियमित रूप से खेल–कूद, योग, नृत्य, मार्शल आर्ट को स्थानीय उपलब्धता के अनुसार प्रदान करने की कोशिश की जाएगी ताकि बच्चे शारीरिक गतिविधियों एवं व्यायाम वगैरह में भाग ले सकें।

पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संबंधी सुधार:

- इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार, कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा।
- कक्षा–6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप (Internship) की व्यवस्था भी की जाएगी।

- 'राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद' (National Council of Educational Research and Training– NCERT) द्वारा 'स्कूली शिक्षा के लिये राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा' (National Curricular Framework for School Education) तैयार की जाएगी।
- छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा–10 और कक्षा–12 की परीक्षाओं में बदलाव किया जाएगा। इसमें भविष्य में समेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है।
- छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिये मानक–निर्धारक निकाय के रूप में 'परख' (PARAKH stands for Performance Assessment, Review, and Analysis of Knowledge for Holistic Development) नामक एक नए 'राष्ट्रीय आकलन केंद्र' (National Assessment Centre) की स्थापना की जाएगी।
- छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिये 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' (Artificial Intelligence– AI) आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग।

शिक्षण व्यवस्था से संबंधित सुधार:

- शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय–समय पर किये गए कार्य–प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति।
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक 'शिक्षकों के लिये राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक' (National Professional Standards for Teachers– NPST) का विकास किया जाएगा।
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा छब्म्त्ज के परामर्श के आधार पर 'अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा' (National Curriculum Framework for Teacher Education–NCFTE) का विकास किया जाएगा।
- वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिये न्यूनतम डिग्री योग्यता 4–वर्षीय एकीकृत बी.एड. डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा।

उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधान:

- NEP–2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में 'सकल नामांकन अनुपात' (Gross Enrolment Ratio) को 26.3% (वर्ष 2018) से बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है, इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा।
- NEP–2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एंड एक्ज़िट व्यवस्था को अपनाया गया है, इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और

उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा (1 वर्ष के बाद प्रमाण–पत्र, 2 वर्षों के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक)।

- विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिये एक 'एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट' (Academic Bank of Credit) दिया जाएगा, ताकि अलग–अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके।
- नई शिक्षा नीति के तहत एम.फिल. (M-Phil) कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया।

भारतीय उच्च शिक्षा आयोग:

- नई शिक्षा नीति (NEP) में देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिये एक एकल नियामक अर्थात् भारतीय उच्च शिक्षा परिषद (Higher Education Commision of India–HECI) की परिकल्पना की गई है जिसमें विभिन्न भूमिकाओं को पूरा करने हेतु कई कार्यक्षेत्र होंगे। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिये एक एकल निकाय ‘(पदहसम न्उइतमससं ठवकल) के रूप में कार्य करेगा।

HECI के कार्यों के प्रभावी निष्पादन हेतु चार निकाय :

- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद (National Higher Education Regulatroy Council–NHERC) : यह शिक्षक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिये एक नियामक का कार्य करेगा।
- सामान्य शिक्षा परिषद (General Education Council – GEC) : यह उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के लिये अपेक्षित सीखने के परिणामों का ढाँचा तैयार करेगा अर्थात् उनके मानक निर्धारण का कार्य करेगा।
- राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (National Accreditation Council – NAC) : यह संस्थानों के प्रत्यायन का कार्य करेगा जो मुख्य रूप से बुनियादी मानदंडों, सार्वजनिक स्व–प्रकटीकरण, सुशासन और परिणामों पर आधारित होगा।
- उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद (Higher Education Grants Council – HGFC) : यह निकाय कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों के लिये वित्तपोषण का कार्य करेगा।
- नोटः गौरतलब है कि वर्तमान में उच्च शिक्षा निकायों का विनियमन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) जैसे निकायों के माध्यम से किया जाता है।
- देश में आईआईटी (IIT) और आईआईएम (IIM) के समकक्ष वैश्विक मानकों के 'बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय' (Multidisciplinary Education and Reserach Universities – MERU) की स्थापना की जाएगी।

विकलांग बच्चों हेतु प्रावधान:

- इस नई नीति में विकलांग बच्चों के लिये क्रास विकलांगता प्रशिक्षण, संसाधन केंद्र, आवास, सहायक उपकरण, उपर्युक्त प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण, शिक्षकों का पूर्ण समर्थन एवं प्रारंभिक से लेकर उच्च शिक्षा तक नियमित रूप से स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करना आदि प्रक्रियाओं को सक्षम बनाया जाएगा।

डिजिटल शिक्षा से संबंधित प्रावधान:

- एक स्वायत्त निकाय के रूप में ''राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच'' (National Educational Technol Foruem) का गठन किया जाएगा जिसके द्वारा शिक्षण, मूल्यांकन योजना एवं प्रशासन में अभिवृद्धि हेतु विचारों का आदान–प्रदान किया जा सकेगा।
- डिजिटल शिक्षा संसाधनों को विकसित करने के लिये अलग प्रौद्योगिकी इकाई का विकास किया जाएगा जो डिजिटल बुनियादी ढाँचे, सामग्री और क्षमता निर्माण हेतु समन्वयन का कार्य करेगी।

पारंपरिक ज्ञान–संबंधी प्रावधान:

- भारतीय ज्ञान प्रणालियाँ, जिनमें जनजातीय एवं स्वदेशी ज्ञान शामिल होंगे, को पाठ्यक्रम में सटीक एवं वैज्ञानिक तरीके से शामिल किया जाएगा।

वित्तीय सहायता:

- एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों से संबंधित मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

शिक्षक और शिक्षक शिक्षा:

- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 ने देश की शिक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव की सिफारिश की है। नई नीति के अनुसार, 2030 तक, शिक्षण के लिए आवश्यक न्यूनतम डिग्री चार वर्षीय एकीकृत बीएड होगी। इसके अलावा, नई स्कूल प्रणाली के अनुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को भी बदला जाएगा।
- इससे पहले, टीईटी को दो घटकों – भाग 1 और भाग 2 में विभाजित किया गया था। अब जब स्कूल संरचना को चार भागों में विभाजित किया गया है – मूलभूत, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक – टीईटी को भी तदनुसार विकसित किया जाएगा।

- विषय शिक्षकों के लिए, उपयुक्त टीईटी या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) संबंधित विषयों में परीक्षा स्कोर भी भर्ती के लिए ध्यान में रखा जाएगा। NTA सभी विषयों और एक सामान्य योग्यता परीक्षा के लिए परीक्षा आयोजित करेगा।
- टीईटी उत्तीर्ण करने वालों को एक प्रदर्शन देना होगा या एक साक्षात्कार में उपस्थित होना होगा, और नई नीति के अनुसार स्थानीय भाषा के बारे में अपना ज्ञान दिखाना होगा।
- एनईपी के अनुसार, "साक्षात्कार शिक्षक भर्ती का एक अभिन्न अंग बन जाएगा"। ये साक्षात्कार स्थानीय भाषा में शिक्षण में आराम और दक्षता का आकलन करेंगे। यह निजी स्कूलों के शिक्षकों के साथ–साथ टीईटी को उत्तीर्ण करने के लिए जरूरी होगा।
- स्कूलों में भर्ती और रिक्तियों को डिजिटल रूप से प्रबंधित किया जाएगा। अगले दो दशकों में अपेक्षित विषय–वार शिक्षक रिक्तियों का आकलन करने के लिए प्रत्येक राज्य द्वारा एक प्रौद्योगिकी–आधारित व्यापक शिक्षक–आवश्यकता नियोजन पूर्वानुमान अभ्यास आयोजित किया जाएगा।

बीएड में बदलाव:

- चूंकि स्कूलों को उन शिक्षकों की आवश्यकता होगी जो कई भाषाओं में पढ़ सकते हैं और उन्हें नए युग के पाठ्यक्रमों जैसे कम्प्यूटेशनल सोच, कोडिंग आदि का ज्ञान है, जो NEP के तहत स्कूल स्तर पर शुरू किए गए हैं, बीएड पाठ्यक्रम को भी उसी अनुसार बदला जाएगा।
- बीएड कोर्स चार साल की अवधि के होंगे। एक भाषा पर ध्यान देने और द्विभाषी व्याख्यान होने के साथ दोहरी बीएड की डिग्री भी प्रदान की जाएगी। बीएड कार्यक्रम बीपसकतमद प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा में विशेषज्ञता की अनुमति देगा '।
- एक और दो वर्षीय बीएड विकल्प भी उपलब्ध होंगे। दो–वर्षीय बीएड स्नातक की डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों के लिए होगा, और एक वर्षीय बीएड कार्यक्रम केवल उन लोगों के लिए प्रस्तुत किया जाएगा जिन्होंने चार वर्षीय बहु–विषयी स्नातक की डिग्री के बराबर या जिन्होंने मास्टर डिग्री प्राप्त की है। इन उम्मीदवारों को बाद में विशेषता के क्षेत्र में विषय शिक्षकों (या यूजी या पीजी स्तर पर पीछा विषय) के रूप में काम पर रखा जाएगा।
- इसके अतिरिक्त, छोटी पोस्ट–बी.एड. प्रमाणीकरण पाठ्यक्रम भी व्यापक रूप से उपलब्ध कराए जाएंगे, बहु–विषयक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में।

मेरिट–आधारित छात्रवृत्ति:

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्कृष्ट छात्र शिक्षण पेशे में प्रवेश करते हैं – विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से – गुणवत्ता आधारित 4–वर्षीय एकीकृत बीएड कार्यक्रमों के अध्ययन के लिए देश भर में बड़ी संख्या में योग्यता–आधारित छात्रवृत्ति की स्थापना की जाएगी।

- ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष योग्यता आधारित छात्रवृत्तियां स्थापित की जाएंगी जो अपने बीएड कार्यक्रमों के सफल समापन पर अपने स्थानीय क्षेत्रों में अधिमान्य रोजगार को भी शामिल करती हैं।
- इस तरह की छात्रवृत्ति स्थानीय छात्रों, विशेषकर महिला छात्रों को स्थानीय नौकरी के अवसर प्रदान करेगी ताकि ये छात्र स्थानीय–क्षेत्र के रोल मॉडल के रूप में और स्थानीय भाषा बोलने वाले उच्च योग्य शिक्षकों के रूप में काम करें। शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण कार्य करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

अनिवार्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम:

- जिन शिक्षकों को पहले ही काम पर रखा गया है, उनसे हर साल कम से कम 50 घंटे के सतत व्यावसायिक विकास (सीपीडी) में भाग लेने की उम्मीद की जाएगी।
- कार्यकाल, पदोन्नति, और वेतन संरचना की योग्यता–आधारित संरचना विकसित की जाएगी। इस मॉडल के तहत, शिक्षकों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। मूल्यांकन की प्रणाली में कई पैरामीटर शामिल होंगे। इन मापदंडों को प्रत्येक राज्य द्वारा विकसित किया जाएगा और इसमें सहकर्मी समीक्षा, उपस्थिति, प्रतिबद्धता, सीपीडी के घंटे और स्कूल और समुदाय के लिए अन्य प्रकार की सेवा शामिल होगी।
- शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एनपीएसटी) का एक सामान्य मार्गदर्शक सेट 2022 तक राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा विकसित किया जाएगा। पेशेवर मानकों की समीक्षा हर 10 साल में की जाएगी।
- शिक्षक स्थानांतरण को NEP 2020 के अनुसार रोक दिया जाएगा। "बहुत विशेष परिस्थितियों" में स्थानांतरण की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा, स्थानांतरण एक ऑनलाइन कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के माध्यम से आयोजित किया जाएगा जो पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।
- "एनईपी के अनुसार," यदि आवश्यक हो तो शिक्षक शिक्षा प्रणाली की अखंडता को पूरी तरह से बहाल करने के लिए, देश में चल रहे घटिया स्टैंड–अलोन शिक्षक शिक्षा संस्थानों (टीईआई) के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

नई शिक्षा नीति के लाभ:

- शिक्षा को जीवन का आधार कहा गया है शिक्षा का सही अर्थ चीजों की वास्तविकता को जानना है ना कि कुछ किताबों को याद कर उन्हें कुछ पन्नों पर उतारना।
- नई शिक्षा नीति के अनेक फायदे हो सकते हैं क्योंकि नई शिक्षा नीति 2020 में मार्कशीट सिस्टम में बड़े बदलाव किए गए हैं तथा कक्षा 6 से ही कोई एक स्किल पर ज्ञान लेने का विकल्प भी है नई शिक्षा नीति के निम्न फायदे हो सकते हैं।

- नई शिक्षा नीति के अनुसार छोटे बच्चों को अतिरिक्त भार से मुक्ति मिलेगी और उन्हें प्रारंभिक ज्ञान अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा में मिलेगी जिसके कारण उनका शुरुआती विकास त्वरित होगा।
- शिक्षा नीति 2020 में अंग्रेजी को सिर्फ एक भाषा की तरह पढ़ाया जाएगा जिससे शिक्षार्थियों का मातृभाषा के प्रति रुझान बढ़ेगा
- इस नई शिक्षा नीति में पढ़ने से ज्यादा सीखने पर जोर दिया गया है ताकि शिक्षार्थी आगे चलकर अपने लिए कोई एक व्यवसाय खड़ा कर सकें।
- नई शिक्षा पद्धति के अंतर्गत व्यवसायिक पाठ्यक्रम को कक्षा 6 से ही शामिल किया गया है तथा इंटर्नशिप की भी व्यवस्था है ताकि विद्यालय खत्म होते–होते विद्यार्थी किसी एक कौशल में पारंगत हो सके और अपने लिए आजीविका खोज सकें।
- शिक्षा नीति में विद्यार्थी के जिज्ञासा को प्राथमिकता दी गई है **रीड टू लर्न** के स्थान पर **लर्न टू रीड** पर विशेष जोर दिया गया है।
- नई शिक्षा नीति के तहत इतिहास के विद्यार्थी विज्ञान शाखा को भी चुन सकेंगे तथा किसी भी दिक्कत के आने पर सब्जेक्ट ड्रॉप भी कर सकेंगे।

नई शिक्षा नीति से संबंधित चुनौतियाँ :

- राज्यों का सहयोगः शिक्षा एक समवर्ती विषय होने के कारण अधिकांश राज्यों के अपने स्कूल बोर्ड हैं इसलिये इस फैसले के वास्तविक कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों को सामने आना होगा। साथ ही शीर्ष नियंत्रण संगठन के तौर पर एक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद को लाने संबंधी विचार का राज्यों द्वारा विरोध हो सकता है।
- महँगी शिक्षाः नई शिक्षा नीति में विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया गया है। विभिन्न शिक्षाविदों का मानना है कि विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश से भारतीय शिक्षण व्यवस्था के महँगी होने की आशंका है। इसके फलस्वरूप निम्न वर्ग के छात्रों के लिये उच्च शिक्षा प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- शिक्षा का संस्कृतिकरणः दक्षिण भारतीय राज्यों का यह आरोप है कि 'त्रि–भाषा' सूत्र से सरकार शिक्षा का संस्कृतिकरण करने का प्रयास कर रही है।
- फंडिंग संबंधी जाँच का अपर्याप्त होनाः कुछ राज्यों में अभी भी शुल्क संबंधी विनियमन मौजूद है, लेकिन ये नियामक प्रक्रियाएँ असीमित दान के रूप में मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाने में असमर्थ हैं।
- वित्तपोषणः वित्तपोषण का सुनिश्चित होना इस बात पर निर्भर करेगा कि शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय के रूप में जीडीपी के प्रस्तावित 6 %खर्च करने की इच्छाशक्ति कितनी सशक्त है।

- मानव संसाधन का अभावः वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में कुशल शिक्षकों का अभाव है, ऐसे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत प्रारंभिक शिक्षा हेतु की गई व्यवस्था के क्रियान्वयन में व्यावहारिक समस्याएँ भी हैं।
- इस 34 साल पुरानी शिक्षा पद्धति के कारण शिक्षकों तथा विद्यार्थियों की मानसिकता में परिवर्तन इस नीति के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। शिक्षकों पर इस नीति को समझने तथा अमल में लाने का दबाव बढ़ेगा जिसके लिए उन्हें आवश्यक ट्रेनिंग की जरूरत होगी।
- न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को शुरुवाती पढ़ाई देने के लिए नए प्रशिक्षण केंद्र बनाने पड़ेंगे क्योंकि आंगनवाड़ी की समर्थता बेहद कम होती है। इस नई शिक्षा नीति में व्यवसायिक ज्ञान को भी शामिल किया गया है।
- इस नई शिक्षा नीति को आत्मसात्करण करने में समय लग सकता है। इसके प्रयासों में बड़े समय तथा साधनों की आवश्यकता होगी।
- इस नई शिक्षा नीति को कारगर बनाने के लिए अनुभवी तथा क्रियात्मक शिक्षकों की आवश्यकता होगी जिन की भर्ती की गुणवत्ता को पहचानना एक मुख्य काम तथा चुनौती होगी।
- न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में विद्यार्थियों को तकनीकी सक्षमता प्रदान करने का प्रावधान है लेकिन जो विद्यार्थी आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है उनके लिए यह बहुत बड़ी चुनौती होगी

निष्कर्ष:

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21वीं सदी के भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिये भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव हेतु जिस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 को मंजूरी दी है अगर उसका क्रियान्वयन सफल तरीके से होता है तो यह नई प्रणाली भारत को विश्व के अग्रणी देशों के समकक्ष ले आएगी। नई शिक्षा नीति, 2020 के तहत 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून, 2009 के अंतर्गत रखा गया है। 34 वर्षों पश्चात् आई इस नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है जिसका लक्ष्य 2025 तक पूर्व–प्राथमिक शिक्षा (3–6 वर्ष की आयु सीमा) को सार्वभौमिक बनाना है। स्नातक शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, थ्री–डी मशीन, डेटा–विश्लेषण, जैवप्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों के समावेशन से अत्याधुनिक क्षेत्रों में भी कुशल पेशेवर तैयार होंगे और युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी।

संदर्भ:

1. www.education.gov.in
2. www.hindi.rajras.in
3. www.prindia.org
4. www.pmmodiyojana.in
5. National and international webinars organized by different universities and colleges all over India on NEP-2020